संख्या-546/2018/2737/22-2-2017-17(661)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2018***

विषय:- जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री संतराम निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम-06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री संतराम, जो-मो0 हरदयाल कूंचा-द्वितीय, थाना-पुवायॉ, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 09.01.2010 को घर में अकेला पाकर 07-08 साल की नाबालिग लडकी के साथ बलात्कार किया। शोर सुनकर पडोसी राधेश्याम के पहुंचने पर बन्दी ने बांके से मारकर उसको घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-355/2010 में भा0द0वि0 की धारा- 377, 325 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 15.06.2013 द्वारा 10 वर्ष के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 06 वर्ष 07 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 07 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 09.01.2010 को घर में अकेला पाकर 07-08 साल की नाबालिग लडकी के साथ बलात्कार किया। शोर सुनकर पडोसी राधेश्याम के पहुंचने पर बन्दी ने बांके से मारकर उसको घायल किया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री संतराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी धर्मेन्द्र (बन्दी संख्या-2770) पुत्र श्री संतराम निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-546/2018/2737(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-546/2018/2737/22-2-2017-17(661)/2017
दिनांक 29 जून, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री संतराम, जो-मो0 हरदयाल कूंचा-द्वितीय, थाना-पुवायाँ, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 09.01.2010 को घर में अकेला पाकर 07-08 साल की नाबालिग लडकी के साथ बलात्कार किया। शोर सुनकर पडोसी राधेश्याम के पहुंचने पर बन्दी ने बांके से मारकर उसको घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-355/2010 में भा0द0वि0 की धारा- 377, 325 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 15.06.2013 द्वारा 10 वर्ष के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 06 वर्ष 07 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 07 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 09.01.2010 को घर में अकेला पाकर 07-08 साल की नाबालिग लडकी के साथ बलात्कार किया। शोर सुनकर पडोसी राधेश्याम के पहुंचने पर बन्दी ने बांके से मारकर उसको घायल किया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री संतराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।